सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर मध्यप्रदेश भोपाल
फेक्स. 0755–255266 ई–मेल– dpswbpl@nic.in

विषय :– दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण।

———

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु **दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में निम्न बिन्दुओं पर जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये :–

1. यूडीआईडी कार्ड

- सिंगरौली, सतना, सागर, शाजापुर, खण्डवा, श्योपुर, देवास, बडवानी, शहडोल, झाबुआ, बुरहानपुर, रतलाम, खरगौन, मंदसौर की प्रगति अत्यंत कम, सुधारें। शेष जिलों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। समस्त जिलों की आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में संभागवार प्रगति की समीक्षा की जावेगा।

2. पदों से संबंधित जानकारी

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति की नियत प्रपत्र में जानकारी जिला भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, दतिया, इंदौर, अलीराजपुर, कटनी, दमोह, रीवा, सतना, खण्डवा से प्राप्त। जिला आगर मालवा, बडवानी एवं अशोकनगर से गलत जानकारी प्राप्त। शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त।
- इसी प्रकार दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन भरे, रिक्त (समस्त विभागों की विभागवार संकलित जानकारी) समस्त जिलों से अप्राप्त है। जिला रीवा, बालाघाट, मंदसौर, उज्जैन, हरदा, होशंगाबाद, जिलों ने जानकारी प्रेषित किया जाना बताये है, निःशक्त कल्याण शाखा परीक्षण करें।
- उक्त जानकारी 30 नवम्बर, 2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. सी.एम. हेल्पलाईन

- लेवल 1, 2 एवं लेवल 3 पर ही समस्त शिकायतों का निराकरण किया जावे। लेवल 4 पर वही शिकायते पहुंचे जिनका निराकरण शासन स्तर से संभव हो।
- सबसे अधिक समय से लंबित शिकायतों का सर्वप्रथम निराकरण सुनिश्चित करें। शिकायतों का निराकरण दर्ज करने में पूर्ण गंभीरता व सावधानी बरतें।

गलत निराकरण दर्ज किये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

- समस्त संयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण अपने संभाग में जिलों की प्रगति की नियमित रुप से समीक्षा करें।

4. **वर्ष 2017–18 निराश्रित निधि बजट एवं ऑडिट रिपोर्ट**

- 23 जिले यथा श्योपुर, मुरैना, दतिया, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, रतलाम, बडवानी, भोपाल, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, कटनी, नरसिंहपुर एवं रीवा के निराश्रित निधि बजट 2017–18 शासन द्वारा अनुमोदन।
- 5 जिले जबलपुर, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट एवं अशोकनगर से प्राप्त। शेष जिलों से अप्राप्त। 30 नवम्बर, 2017 तक प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- निराश्रित नीधि की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में संभागवार की जावेगा। अतः आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पूर्व समस्त जिले रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. **सिपडा**

- सिपडा योजना अंतर्गत जिला हरदा, होशंगाबाद, मंदसौर, रायसेन, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, टीकमगढ के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त। कलेक्टर स्तर पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाकर आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे।

6. **राज्य अनुदान प्राप्त संस्थाओं की जानकारी**

- राज्य अनुदान प्राप्त समस्त जिले– जिलेवार संस्थाओं की जानकारी 5 दिवस में शीर्षवार, संस्थावार, वेतन/मानदेय, पोषण बच्चे कुल कितने है, छात्रावासी/गैर छात्रावासी के विवरण के साथ जानकारी उपल्बध कराना सुनिश्चित करें।

7. **जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र का संचालन की स्थिति**

- प्रत्येक जिले में जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र संचालित है अथवा नहीं ? समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय स्वयं निरीक्षण करे एवं प्रतिवेदन 15 दिवस में उपलब्ध करावे।
- संस्थाओं की मान्यता के लिए सूक्ष्मता से निरीक्षण कर अनुशंसा करें। आदिवासी, पिछडे जिलों में मान्यता देने के लिये अनुशंसा की जाये जहां संस्थाएं कार्यरत् नहीं है वहां प्राथमिकता दे तथा पालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजे।

8. **पिछले वर्ष वितरित कृत्रिम अंग के हितग्राहियों की सूची एवं व्यय का विवरण**

- विगत वर्ष जो कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय किया था उन्हें समग्र स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करे, उसके पश्चात् ही क्रय करें। समस्त क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जावे।

9. आधार सीडिंग की समीक्षा

- शासन की मंशा के अनुसार हितग्राहियों को आधार बेस्ड पेमेंट किया जाना है, हितग्राहियों के आधार नम्बर को बैंक बचत खाता नम्बर से दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 के पूर्व लिंक (सीडिंग) किया जाना है। इसके उपरांत भुगतान संभव नहीं हो पायेगा।
- 15 से 30 नवम्बर, 2017 तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से आधार सीडिंग हेतु अभियान चलाया जाकर की कार्यवाही की जावे, जिसके निर्देश जारी किये जा चुके है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा यथाशीघ्र निर्देश जारी किये जावेंगे।
- उक्त समय सीमा को ध्यान में रखते हुये आधार सीडिंग की कार्यवाही उक्त अभियान अंतर्गत शत् प्रतिशत समग्र पोर्टल पर की जाये। आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में 15 दिवस की प्रगति की समीक्षा संभागवार की जावेगी।

10. जिलो में उपलब्ध अवितरित पेंशन राशि का विवरण

- जून, 2017 माह के पहले की अवितरित पेंशन राशि अंतर्गत जिला मंदसौर, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अनुपपुर, छतरपुर अशोकनगर द्वारा ही गूगल शीट पर जानकारी दर्ज की है।
- शेष अन्य जिलें एक सप्ताह में राशि समर्पित कर जानकारी गूगलशीट पर दर्ज करे एवं जानकारी को संचालनालय में भी प्रेषित करें।

11. पेंशन योजना हेतु संभावित पात्र व्यक्तियों की प्रगति रिपोर्ट

- जिले स्तर पर ग्राम पंचायतवार समीक्षा की जाये, सबसे कम प्रगति के लिये जिम्मेदारी नियत कर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो।

12. तकनीकी समाधान एवं सुझाव

तकनीकी समस्या होने पर सर्वप्रथम अपने जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. व जिला ई–गवर्नेंस मैनेजर से संपर्क करें। समस्याओं के समाधान व सुझाव हेतु समस्या का विस्तृत लेख कर भेजने वाले का नाम व मोबाइल नम्बर की जानकारी संचालनालय की ई–मेल (md.samagra@mp.gov.in, mdcmsssm@gmail.com) पर मेल करें या दूरभाष नम्बर 0755–2555700 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

(राजश्री राय)
संयुक्त संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/समग्र/2017/56/620 भोपाल, दिनांक 14/11/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक संचालक मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र.।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद म.प्र.।

संयुक्त संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश